

डा० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 4-1-2003 को जिला आपूर्ति कार्यालय, मधुबनी का किये गये निरीक्षण का अभिलिखित निरीक्षण रिपोर्ट।

§ 1 § परिचय :-

मधुबनी जिला का सृजन वर्ष 1972 के दिसम्बर माह में हुआ तथा जिला आपूर्ति कार्यालय वर्ष 1973 से कार्यरत है। जिला आपूर्ति कार्यालय समाहरणालय भवन के नीचेले मंजिल के कमरा नं०-26 के आधे भाग में कार्यरत है। शेष भाग में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी का प्रकोष्ठ है। पूर्व में यह कार्यालय समाहरणालय के कमरा नं०-30 स्थापना में चलता था।

मधुबनी जिला में 5 पंच अनुमण्डल यथा-सदर मधुबनी/झंकारपुर/बेनीपट्टी/जयनगर एवं फुलपरास है। जिले की कुल आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35,70,651 है। जिले में कुल 21 प्रखंड है। जिले का क्षेत्रफल 352.66 वर्ग कि०मी० है।

मधुबनी जिला में गरीबी रेखा से अरुं स. पी. एल. जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या 2,33,352 है जबकि गरीबी रेखा से नीचे बी०पी०एल० जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या 2,31,078 है। गरीबी रेखा से नीचे बी०पी०एल० परिवारों के लिए सरकार से गेहूँ 6690.096 स्म० टी० क्विंटल एवं चावल 4460.064 क्विंटल का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिले में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चयनित कुल परिवारों की संख्या 43,886 है जिन्हें 2/- रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 21 किलो तथा 3/- रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 14 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए 921.006 स्म० टी० गेहूँ एवं 614.404 स्म० टी० चावल का मासिक आवंटन सरकार से प्राप्त होता है। इसके अलावे जिले में अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित कुल परिवारों की संख्या 8254 है। इन परिवारों को 6 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल अर्थात् कुल 10 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त जिले में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक खाद्यान्न की मात्रा 10411 क्विंटल गेहूँ सरकार से प्राप्त होती है।

§ 2 § प्रभार :-

मो० गुफरान अहमद, उप समाहर्ता दिनांक 30-8-2001 से अधिसूचित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी के रूप में कार्यरत हैं। इनसे पूर्व श्री उदय प्रताप सिंह, उप समाहर्ता-सह-कार्यपालक दण्डाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में थे।

①

लगातार... 2/-



श्री अवध किशोर मोदी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी आपूर्ति शाखा के वरीय प्रभार में हैं। इनसे पूर्व श्री महेष्वा प्रसाद सिन्हा, अपर समाहर्ता, भू-हदबन्दी, मधुबनी जिला आपूर्ति शाखा के वरीय प्रभार में थे। श्री पूरन राम, सुपरटार्डम प्रवर कोटि सहायक दिनांक 1-7-2001 से कार्यालय अधीक्षक आपूर्ति के रूप में पदस्थापित हैं। इनसे पूर्व श्री राजेन्द्र पासवान, सुपर टार्डम वरीय प्रवर कोटि सहायक, कार्यालय अधीक्षक आपूर्ति के रूप में पदस्थापित थे। श्री राजेन्द्र पासवान, कार्यालय अधीक्षक आपूर्ति की अतामयिक मृत्यु हो जाने के फलस्वस्व श्री पूरन राम, कार्यालय अधीक्षक आपूर्ति का प्रोन्नति कार्यालय अधीक्षक सामान्य के रूप में हो गया है और श्री दुःखी राम, प्रधान सहायक, जिला निर्वाचन शाखा को कार्यालय अधीक्षक आपूर्ति के रूप में प्रोन्नति दी गयी है। श्री हेरराम झा, वरीय प्रवर कोटि सहायक, प्रधान सहायक के रूप में एवं श्री उमाशंकर मेहता एवं श्री ललन कुमार सिंह सहायक के रूप में कार्यरत हैं। निरोक्षण के क्रम में उपस्थित श्री पूरन राम, कार्यालय अधीक्षक आपूर्ति को निर्देशा दिया गया कि चूंकि उनकी प्रोन्नति कार्यालय अधीक्षक सामान्य के रूप में हो गयी है, फलस्वस्व वे अपने प्रकोष्ठ में बैठकर कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करें।

मधुबनी जिला में प्रुखंड आपूर्ति पदाधिकारो आपूर्ति निरोक्षक के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन बल की स्थिति निम्न-प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1-	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारो ।	04	-	04	
2-	प्रुखंड आपूर्ति पदाधिकारो	25	03	22	
3-	आपूर्ति निरोक्षक	29	07	22	

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारो का 04 पद, प्रुखंड आपूर्ति पदाधिकारो का 22 पद एवं आपूर्ति निरोक्षक का 22 पद रिक्त है। बताया गया कि रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापन हेतु आयुक्त एवं सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना को अधोहस्ताक्षरो के पत्रांक 787/आपूर्ति, दिनांक 9-10-2002 एवं स्मार पत्रांक 889/आपूर्ति, दिनांक 21-11-2002 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारो को निर्देशा दिया जाता

(Handwritten Signature)

लगातार.... 3/-

है कि पूर्व में भेजे गए पत्र के आलोक में अधोदस्ताधरी की ओर से पुनः रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु सरकार को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप अधोदस्ताधरी के समक्ष प्रस्तुत करें ।

इस कार्यालय में स्वीकृत बल के अनुरूप पदस्थापित कर्मियों का नाम/पदनाम/पदस्थापन की तिथि एवं गृहपता निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता	अभ्युक्ति
1-	श्री. गुफरान अहमद	जिला आपूर्ति पदा०	30-08-2001	ग्राम-सोभदन, जिला-दरभंगा ।	
2-	श्री पूरन राम	कार्यालय अधीक्षक आ०	01-07-2001	मुहल्ला-बाबूसाहेब चौक, मधुबनी ।	
3-	श्री हरेराम झा	प्रधान सहायक	02-07-2001	ग्राम-पो०-बलहा, थाना-राजनगर,	
4-	श्री उमा शंकर मेहता	सहायक	18-10-2001	ग्राम-पिरही, बाबूबरही प्रखंड ।	
5-	श्री ललन कुमार सिंह	सहायक	26-11-2002	ग्राम-धनुषी, रटिका प्रखंड ।	
6-	श्री राम नारायण झा	पदचर	18-06-2002	ग्राम-जितवारपुर, रटिका प्रखंड ।	
7-	श्री बुन्नी लाल पातवान	अनुसूचक		ग्राम-राँटी, राजनगर प्रखंड ।	जिला भू अर्जन से प्रतिनियुक्त ।

३३ पूर्व निरीक्षण :-

जिला आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित तिथियों में किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम ।	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	17-03-2001	05-07-2001	10-08-2001
2-	सहायक, मधुबनी	19-03-1983	19-04-1983	18-05-1983
3-	असर सहायक, मधुबनी ।	28-03-1985	29-04-1985	09-07-1985

लगातार. . . . 4/-

4-	उप निदेशक, खाद्य दरभंगा ।	23-06-1984	25-08-1984	25-01-1985
5-	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी ।	23-03-1987	16-05-1987	12-10-1987

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस कार्यालय का निरीक्षण उमर अंकित तिथियों में विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। उपर्युक्त ऑफिस के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस कार्यालय का निरीक्षण तमाहत्ता द्वारा वर्ष 1983 के बाद, अपर तमाहत्ता, मधुबनी द्वारा वर्ष 1985 के बाद, उप निदेशक, खाद्य, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा वर्ष 1984 के बाद एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा वर्ष 1987 के बाद नहीं किया गया है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना है, जो नहीं किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत नियमानुसार निरीक्षण सुनिश्चित करें।

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी के संधारण हेतु अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका संधारण तही ढंग से नहीं किया गया है। रक्षी संचिका में रखे गए पत्रों के लिए प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमणिका नहीं बनाया गया है। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण टिप्पणी के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमणिका का संधारण सुनिश्चित करें ताकि यह पता चल सके कि अमुक पत्र कहाँ से आया, किस विषय से संबंधित है एवं किस क्रमांक पर रखा गया है।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित अनुपालन की तिथि को देखने से ज्ञात होता है कि बहुत सारे निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन विलम्ब से भेजा गया है, जो उचित नहीं है। नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए। यदि निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।



लगातार...5/-



§4§ पत्राचार :-

बिहार अभिलेख दस्तक के नियम 8 खण्ड §1§ एवं §2§ के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की अलग-अलग पंजी संधारित है, जो प्रत्येक पंचांग वर्ष के प्रथम में खोली जाती है। पंजी सही ढंग से संधारित है एवं पंजी के स्तम्भों को भरा गया है। विगत तीन वर्षों में इस कार्यालय में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्नवत है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
	साधारण	मुख्य	योग	साधारण	मुख्य	योग
1999	447	141	588	531	24	555
2000	405	205	610	577	26	603
2001	259	201	460	843	-	843
2002	1311	-	1311	1045	-	1045

प्राप्त पत्रों की पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रों का संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं अनुप्रवण भी नहीं हो रहा है। अतएव पत्राचार पर पकड़ रखने हेतु पाँच प्रकार की पंजी निम्नरूपेण संधारित करने का निर्देश दिया जाता है :-

- 1- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/माननीय सांसद/विधायक/विधानसभा/विधान पार्श्व प्रश्न/ध्यानाकर्षण से संबंधित प्राप्त पत्र ।
- 2- राज्य सरकार/उच्चाधिकारी से प्राप्त पत्र ।
- 3- आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त पत्र ।
- 4- अनुमण्डल/प्रखंड/अंचल/तकनीकी पदाधिकारी से प्राप्त पत्र ।
- 5- आवेदन-पत्रों से संबंधित प्राप्त पत्र ।

§5§ कर्मपुस्तिका :-

सभी सहायकों के लिए अलग-अलग कर्मपुस्तिका संधारित है। वर्ष 2002 के कर्मपुस्तिका का अवलोकन किया गया।
लगातार---6/-

पाया गया कि किसी भी सहायक के कर्मपुस्तिका में मासिक लंबित पत्रों का सारांश अंकित नहीं किया गया है। इससे यह पता नहीं चल पाता है कि किस सहायक के कर्मपुस्तिका में कितने पत्र लंबित चले आ रहे हैं। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि निम्नांकित प्रपत्र में प्रत्येक माह सहायकवार लंबित पत्रों की सूची तैयार किया जाय ताकि यह पता चल सके कि किस सहायक के पास कितने पत्र लंबित हैं :-

क्र०	सहायक का नाम	पिछले माह का लंबित पत्रों की संख्या	पत्र		कुल लंबित पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
			वर्तमान माह में प्राप्त पत्रों की संख्या	वर्तमान माह में निष्पादित पत्रों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह लंबित पत्रों का अनुम्रवण करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

§ 6§ अनुक्रमणी पंजी :-

इस प्रशाखा में वर्णमाला क्रमानुसार अनुक्रमणी पंजी संधारित की गई है, जिसके अनुसार कुल 25 विषयों पर संचिकाएँ संचालित हो रही हैं। संचिकाओं के अवलोकन से पाया गया कि विविध करके संचिका खोली गयी है, जिसे अविलम्ब बन्द करने का निर्देश प्रधान सहायक को दिया गया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में विविध करके कोई संचिका नहीं खोली जाय। जिस विषय से संबंधित पत्र/आवेदन-पत्र हो, उसे संबंधित संचिका में संधारित किया जाय।

§ 7§ कार्य तालिका :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 115 के अनुसार सभी सहायकों के लिए कार्य तालिका संधारित है। सभी सहायकों के बैठने के स्थान के पीछे कार्य तालिका अंकित करते हुए दीवाल पर टांग दिया गया है, जिससे यह पता चल जाता है कि कौन से सहायक किस विषय पर संचिका का निष्पादन करते हैं।

(Signature)

§8§ रक्षी संचिका का संधारण :-

निरीक्षण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस शाखा में संधारित रक्षी संचिकाओं का अवलोकन किया गया। स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। अधिकांश रक्षी संचिकाओं का बाईंडिंग तही नहीं है, जिसे आकास्मिकता मद से अविलम्ब बाईंडिंग कराने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण संचिका है, जिसमें राज्य सरकारी/आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश/मार्गनिर्देश मार्गदर्शन हेतु चिपकाया जाता है। रक्षी संचिका के प्रथम पृष्ठ पर इन्डेक्सिंग भी नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पत्र किस क्रमांक पर एवं किस विषय से संबंधित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करें। प्रधान सहायक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला स्तर पर आपूर्ति टास्क फोर्स से संबंधित बैठक की कार्यवाही के लिए अलग रक्षी संचिका संधारित करें एवं प्रत्येक माह में आयोजित बैठक की कार्यवाही उसमें चिपकाना सुनिश्चित करें एवं रक्षी संचिका के साथ प्रत्येक माह में आयोजित आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थित हों। इस शाखा में पूर्व के वर्षों में प्राप्त महत्वपूर्ण पत्र, जिन्हें रक्षी संचिका में मार्गदर्शन हेतु चिपकाया गया है, से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन किया। स्थिति बहुत ही गम्भीर है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त रक्षी संचिकाओं को देखकर महत्वपूर्ण पत्र, जो मार्गदर्शन हेतु सरकार से प्राप्त हुए हैं, की छायाप्रति कराकर सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पुराने रक्षी संचिकाओं को वर्षवार वर्गीकृत कर बाईंडिंग कराकर एवं उस पर लेदरिंग कराकर संधारित करना सुनिश्चित करें।

§9§ पंजियों की पंजी :-

इस प्रशाखा में पंजियों की पंजी संधारित है परन्तु इसमें आवंटन पंजी/लॉन्ग पत्रों की पंजी/विपत्र पंजी आदि संधारित नहीं की गयी है। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करें।

§10§ प्रधान सहायक नोट बुक :-

इस प्रशाखा में प्रधान सहायक नोट बुक संधारित नहीं है, जो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। यह एक महत्वपूर्ण पंजी है। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-117 के अनुसार प्रधान सहायक नोटबुक वर्णमाला क्रमानुसार संधारित किया जाना है। इस पंजी में प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण घटना/पत्रादि के बारे में संक्षिप्त में अंकित किया जाना है, ताकि निर्धारित समय-सोमा के अन्दर निष्पादन

M /

सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण अविलम्ब सुनिश्चित करें।

§11§ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

जिला आपूर्ति प्रशाखा द्वारा राज्य सरकार एवं आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन एवं विवरणी से संबंधित तालिका का अवलोकन किया। तालिका बहुत ही छोटे अक्षरों में कूट पर लिखकर चिपकाया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि एक बड़ा कूट पर अच्छे ढंग से बड़े-बड़े ताफ अक्षरों में लिखकर चिपकाना सुनिश्चित करें।

§12§ उपस्थिति पंजी :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-105 के अनुसार विहित प्रपत्र में दैनिक उपस्थिति पंजी संधारित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर उपस्थिति पंजी की जाँच किया करें।

§12§ आकस्मिक अवकाश पंजी :-

आकस्मिक अवकाश पंजी इस कार्यालय में संधारित है एवं लिये गये अवकाश का विधिवत इन्द्राज किया जाता है।

§13§ सेवापुस्त :-

बताया गया कि इस शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का सेवापुस्त जिला स्थापना शाखा में ही संधारित होता है।

§14§ भविष्यनिधि पास्तबुक :-

निरिक्षण के क्रम में प्रधान सहायक ने बताया कि इस कार्यालय में पदस्थापित सहायकों का भविष्य निधि पास्तबुक जिला स्थापना शाखा द्वारा ही संधारित किया जाता है।

§15§ विधान सभा/लोक सभा प्रश्न से संबंधित पंजी :-

विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों के लिए एक पंजी इस कार्यालय में संधारित है। पंजी का अवलोकन किया गया। प्रधान सहायक को निर्देश दिया गया कि लिखित पत्रों का निष्पादन अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय।



लगातार.....9/-

§ 168 चरराती बही :-

इत कायालय में चरराती बही विहित प्रपत्र में तंधारित है ।

§ 178 जन वितरण प्रणाली बिक्रेता :-

इत जिला में जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की कुल तंख्या 1687 है । प्रखंडवार जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की तंख्या निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुमण्डल/प्रखंड का नाम	जन वितरण प्रणाली बि० की कुल तंख्या	बर्गवार जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की तंख्या					
			तामान्य	अनु०जाति	अनु०जनजा०	अल्पतंख्या महिला	तद्योगप्रबन्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तदर अनुमण्डल								
1-	मधुबनी ग्राह्य रॉटी सब मगरौनी तहित	77	51	13	-	9	4	-
2-	रहिका	77	47	20	-	10	-	-
3-	राजनगर	76	56	16	-	2	2	-
4-	पण्डौल	89	58	18	-	11	2	-
5-	खजौली	85	51	25	-	7	1	1
6-	बाबूबरही	79	47	27	-	4	1	-
योग :-		483	310	119	-	43	10	1
ब्रंझारपुर अनुमण्डल								
7-	ब्रंझारपुर	105	72	21	-	7	1	4
8-	लखनौर	66	48	10	-	5	3	-
9-	मधेपुर	99	66	20	-	10	3	-
10-	अंधराठादी	68	31	21	-	11	4	1
योग :-		338	217	72	-	33	11	5
बेनीपट्टी अनुमण्डल								
11-	बेनीपट्टी	122	95	21	-	4	2	-
12-	बिस्फी	129	55	11	-	60	3	-

(Signature)

लगातार... 10/-

3-	हरलाखी	46	33	9	-	3	1	-
4-	मधवापुर	59	46	8	-	5	-	-
योग :-		356	229	49	-	72	6	-

खनगर अनुमण्डल

5-	खनगर	87	62	17	-	6	1	1
6-	बातोपट्टी	56	41	14	-	-	1	-
7-	लदनियाँ	66	47	16	-	2	1	-
योग :-		209	150	47	-	8	3	1

फुलपरात अनुमण्डल

18-	फुलपरात	63	50	10	-	2	1	-
19-	घोघरडीहा	77	58	15	-	2	2	-
20-	खुटौना	76	44	22	-	8	1	1
21	लौकडी	85	58	17	-	6	4	-
योग :-		301	210	64	-	18	8	1
जिला योग :-		1687	1116	351	-	174	38	8

§ 18 § लाल कार्ड/राशन कार्ड :-

गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें लाल/राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु सरकार से 2,87,000 दो लाख तताती हजार लाल राशन कार्ड प्राप्त हुआ था। तदनुसार जिले में 2,74,964 दो लाख चौदत्तर हजार नौ सौ चौत्तर गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान कर लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया तथा शेष 12036 बारह हजार छत्तीस लाल राशन कार्ड जिला में सुरक्षित रखा हुआ है। मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 3803 दिनांक 4-9-2000 से प्राप्त निदेश के आलोक में जिले में पाँच प्रक्रिया के अभियान चलाकर अयोग्य व्यक्तियों के बीच वितरित लाल राशन कार्ड को रद्द कर उनके स्थान पर छूटे हुए तुपात्र बीपीएसएल परिवारों की पहचान कर उन्हें लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जितके संबंध में प्रखंडवार विवरणी निम्नवत है :-

लगातार;..... 11/-

क्र०	ग्रंथ का नाम	ग्रंथ में उपलब्ध कराये गये लाल राशन कार्ड संख्या	सत्यापन के उपरान्त रद्द लाल राशन कार्ड की संख्या
1-	2	3	4
1-	बेनीपट्टी	21342	537
2-	विस्फी	17683	167
3-	हरलाखी	11016	356
4-	मधवापुर	8079	99
5-	बाबूबरही	13304	246
6-	खजौली एवं कलुआही	16324	344
7-	पण्डौल	16909	104
8-	राजनगर	15928	244
9-	रहिका	15641	92
10-	मधुबनी शहर	3966	90
11-	फुलपरास	8828	69
12-	घोघरडीहा	9775	-
13-	घोघरडीहा अधिसूचित क्षेत्र	1114	-
14-	हुटौना	11494	207
15-	लोकही	11316	227
16-	जयनगर	11217	308
17-	जयनगर अधिसूचित क्षेत्र	1964	22
18-	बासोपट्टी	11147	127
19-	लदनियाँ	10574	192
20-	झंझारपुर	10800	123
21-	झंझारपुर अधिसूचितक्षेत्र	2245	34
22-	मधेपुर	17914	1727
23-	लखनौर	12678	593
24-	अधराठाढ़ी	13506	324
	कुल योग :-	274964	6234

A/

लगातार... 12/-



इस प्रकार इस कार्रवाई के तहत अब तक 6234 अयोग्य बी0पी0एल0 परिवारों का लाल कार्ड रद्द कर उनके स्थान पर जूटे हुए योग्य बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान कर लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इस बीच आयुक्त एवं सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1505 दिनांक 1-4-2002 द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पुनः सर्वेक्षण कर लाल राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर मधुबनी जिला कुल जनसंख्या 35, 70, 651 के विरुद्ध गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने हेतु इस जिला के लिए 3, 18, 576 लक्ष्य प्राप्त हुआ। तदनुसार कार्यालय पत्रांक 334/आपूर्ति दिनांक 27-4-2002 द्वारा जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को निम्नानुसार मार्गदर्शन देते हुए प्रखंडवार निम्नरूपेण लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है :-

क्रमांक	प्रखंड/अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आवादी।	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वेक्षित परिवार की संख्या।
1	2	3	4
1-	रहिका	192115	-
2-	मधुबनी शहर	66285	-
3-	पण्डौल	218274	-
4-	राजनगर	199322	-
5-	खजौली	110874	-
6-	कलुआही	96709	-
7-	बाबूबरही	173752	-
8-	जयनगर	133276	-
9-	जयनगर अधिसूचित क्षेत्र	19493	-
10-	बातोपट्टी	135017	-
11-	लदनियाँ	137290	-
12-	बेनीपट्टी	185087	-
13-	विस्फी	261118	-

00

	13	
14- हरलाखी	151241	-
15- मधवापुर	113249	13611
16- झंझारपुर	138404	10192
17- झंझारपुर अधिस्तूचित क्षेत्र	24102	12456
18- मधेपुर	217494	2500
19- लखनौर	134023	19037
20- अंधराठाढ़ी	146788	13012
21- घोघरडीहा	142745	14006
22- घोघरडीहा अधिस्तूचितक्षेत्र	14523	12847
23- लौकही	162194	1307
24- सुटौना	167257	13647
25- पुलपरात	130019	14257
कुल योग :-	3570651	318576

इत प्रकार प्रखंड स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान प्रक्रिया जारी है, जो गरीब ही तम्पन्न हो जायेगी। बी०पी०एल० परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन-उठाव एवं वितरण संबंधी विगत तीन माहों का विवरणी निम्नवत है :-

माह का नाम	आवंटन क्विंटल में		उठाव क्विंटल में		वितरण क्विंटल में	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
अगस्त, 2002	49499.00	33002.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2002	49499.00	33002.00	25184	9162	7000	1000
अक्टूबर, 2002	49499.00	33002.00	6035	12572	6000	1500

§ 19§ अन्त्योदय अन्न योजना :-

अन्त्योदय अन्न योजना सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 से लागू की गयी है। इस योजनांतर्गत बी०पी०एल० परिवार लगातार... 14/-

की कुल संख्या का 15.33 प्रतिशत के हिसाब से निर्धनतम परिवारों का चयन किया गया है, जिसके तहत इस जिला में कुल लाभान्वितों की संख्या 43896 है। इस योजनान्तर्गत लाभान्वितों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप 3.00 रुपये प्रति किलो की दर से 21 किलो गेहूँ एवं 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से 14 किलो चावल प्रति माह दिया जाता है। प्रखंडवार अन्त्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों की संख्या निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	प्रखंड का नाम	लक्षित अन्त्योदय परिवारों की संख्या
1-	बेनीपट्टी	-
2-	विस्फी	3406
3-	हरनाखी	2823
4-	मधवापुर	1758
5-	बाबूबरही	1290
6-	खजौली	2124
7-	कलुआही	1391
8-	पण्डौल	1214
9-	राजनगर	2699
10-	रॉटी-मंगरौनी	2113
11-	रहिका	439
12-	मधुबनी शहर	2496
13-	पुलपरास	633
14-	घोघरडीहा	1409
15-	घोघरडीहा अधिसूचित क्षेत्र I	1560
		178
16-	खुटौना	-
17-	लौकही	1834
18-	लदनियाँ	1806
		1688

(Signature)

लगातार.... 15/-

:: 15 ::

19-	जयनगर	-	
20-	जयनगर अधिसूचितक्षेत्र	-	1790
21-	बासोपट्टी	-	314
22-	झंझारपुर	-	1779
23-	झंझारपुर अधिसूचितक्षेत्र	-	1724
24-	मधेपुर	-	390
25-	लखनौर	-	2859
26-	अंधराठाढ़ी	-	2024
-----			2155
कुल योग :-			43886

माहों का निम्नप्रकार है :- अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन/उठाव एवं वितरण संबंधी प्रतिवेदन विगत तीन

माह कानाम	आवंटन		उठाव		वितरण	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
अगस्त, 2002	9216.06	6144.04	शून्य	6144.4	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2002	9216.06	6144.04	शून्य	शून्य	3500.00	2200.00
अक्टूबर, 2002	9216.06	6144.04	2512.00	शून्य	5000.00	2300.00

प्रखंडवार २०पी०एल० एवं बी०पी०एल० परिवारों की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-"क" पर अवलोकनीय

§20§ अन्नपूर्णा योजना:-

यह योजना भारत सरकार द्वारा शान्त-प्रतिशान्त प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन, निःसहाय व्यक्ति, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित हो, को प्रति माह 10 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। योजना अप्रैल, 2000 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2002 तक आवंटन, उठाव, वितरण निम्नप्रकार

(Handwritten mark)

लगातार..... 16/-

आवंटित खाद्यान्न क्विंटल में

:: 16 ::

गेहूँ	चावल	खाद्यान्न का उठाव क्विंटल में	खाद्यान्न का वितरण क्विंटल में
गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
2971.44	1980.96	2439.72	1622.58
			1967.40
			1464.32

21 जागृत शिाविर योजना :-

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं तार्जनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 12011/3/2002, दिनांक 11-6-2001 के क्रम में उप प्रबंधक भंडारण, भारतीय खाद्य निगम, पटना के पत्रांक 935 दिनांक 22-1-2001 एवं बिहार सरकार खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभागीय पत्रांक 5420 दिनांक 24-12-2001 द्वारा मधुबनी जिला को जागृत शिाविर योजना कार्यक्रम के तहत व्यनित क्रिया गथा है। तदनुसार मधुबनी जिले में जागृत शिाविर योजना के आयोजन हेतु प्रपत्र-1र, प्रपत्र-र। एवं बंधपत्र में अनुदान विमुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है।

22 किरासन तेल :-

इत जिला में किरासन तेल का आवंटन 3024 के०एल० है। थोक किरासन तेल विक्रेताओं के माध्यम से किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं /हॉकर के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच वितरण क्रिया जाता है। जिला में कुल 14 थोक किरासन तेल विक्रेता कार्यरत हैं, जितका आवंटन एवं तम्बद क्षेत्र तथा थोक बिक्री दर निम्नरूपेण है :-

क्र०	किरासन तेल थोक विक्रेता का नाम	मासिक आवंटन के०एल० में	तम्बद क्षेत्र का नाम	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा	थोक बिक्री दर
1	2	3	4	5	6
1-	मे० लक्ष्मी महतो रामचन्द्र प्रसाद, सकरी।	204	1- पण्डौल 2- झंझारपुर 3- लखनौर 4- दरभंगा जिला	47841 100098 44121 9900	9.25 प्रति ली०

(Signature)

लगातार..... 17/-

2-	श्री लक्ष्मी महती रामचन्द्र प्रसाद, राजनगर ।	192	17	1- पण्डौल 2- बाबूबरही 3- अंधराठाढ़ी	32173 70331 87576	9.29 प्रति लीटर ।
3-	श्री सतारन प्रसाद संड को झंझारपुर ।	252		1- झंझारपुर 2- मधेपुर 3- लखनौर 4- अंधराठाढ़ी 5- झंझारपुर अक्षेत्र 6- फुलमरात	17927 12050 67885 32173 39475 80000	9.27 प्रति लीटर ।
4-	श्री रिष्माल खडेवाल, मधुबनी	252		1- मधुबनी शहर 2- राजनगर 3- रहिका 4- रौंटी-मंगरौनी	36460 92599 93391 27030	9.27 प्रति लीटर ।
5-	श्री शौखी पूर्वे बलदेव पूर्वे, मधुबनी ।	192		1- मधुबनी शहर 2- रहिका 3- पण्डौल	36460 67184 86436	9.27 प्रति लीटर ।
6-	श्री मिथिला स्टोर्ट, मधुबनी	240		1- मधुबनी शहर 2- राजनगर 3- खजौली 4- बाबूबरही 5- बातोपदटी 6- सुरक्षित	36460 47616 71018 41975 40031 500	9.27 प्रति लीटर
7-	श्री लक्ष्मी महती रामचन्द्र प्रसाद, मधुबनी ।	240		1- मधुबनी शहर 2- बेनीपदटी 3- बातोपदटी	36460 179816 21324	9.27 प्रति लीटर लगातार... 18/-

		:: 18 ::			
8-	मे० लक्ष्मी ना० राम, विस्फी ।	216	1- बेनीपट्टी 2- विस्फी	29800 184040	9.30 प्रति लीटर ।
9-	मे० कुँवर झा, पचडी, मधेपुर	144	1- मधेपुर	142560	9.29 प्रति लीटर ।
10-	मे० लक्ष्मी ना० बैधनाथ, खुटौना ।	216	1- बाबूबरही 2- लौकही 3- खुटौना 4- लदनियाँ	5000 21366 128405 59069	9.38 प्रति लीटर ।
11-	मे० देवत ना० तिंड, जयनगर	252	1- खजौली 2- जयनगर अ०क्षेत्र 3- बातोपट्टी 4- लदनियाँ 5- जयनगर	10000 26339 50995 50246 111900	9.30 प्रति लीटर ।
12-	मे० मोहन आर्यल डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेनीपट्टी ।	240	1- बेनीपट्टी 2- मधवापुर 3- हरलाखी	28444 88486 120655	9.34 प्रति लीटर ।
13-	मे० ओमकार मल, सत्य ना०, घोघरडीहा ।	252	1- फुलपरात 2- लौकही 3- घोघरडीहा 4- घोघरडीहा अ०क्षेत्र	18678 103549 108110 19143	9.42 प्रति लीटर ।
14-	मे० बालाजी एजेंसी, खजौली	132	1- खजौली 2- बाबूबरही	100000 30680	9.28 प्रति लीटर ।

लगातार.... 19/-

३ चीनी :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लेवी चीनी का आवंटन माह नवम्बर, 2002 में वी.पी.एस. परिचारकों के बीच लाल कार्ड/ अंतोदय कार्ड पर वितरण हेतु पर्व के लिए 849 क्विंटल एवं मासिक चीनी हेतु 9052 क्विंटल कुल 9901 क्विंटल प्राप्त हुआ, जिसे प्रखंडवार/अधिसूचित क्षेत्रवार उपावंटित किया जा चुका है।

बताया गया कि पूर्व में लेवी चीनी का व्यापार भारतीय खाद्य निगम से थोक चीनी विक्रेताओं के माध्यम से था, किन्तु जनवरी, 2000 के प्रभाव से सरकारी निर्णयानुसार इस व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है। अब भारतीय खाद्य निगम से ज्य खाद्य निगम द्वारा चीनी का उठाव करने के उपरान्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा चीनी का उठाव नियमानुसार करने का बधान है।

4 थोक विक्रेता :-

इस जिला में मद वार थोक विक्रेताओं की संख्या निम्नप्रकार है :-

1- खाद्यान्न	-	41
2- किरासन तेल	-	14
3- चीनी	-	26
4- कपडा	-	13
कुल :-		94

बताया गया कि सभी थोक विक्रेताओं की अनुज्ञापित वर्ष 2002 तक के लिए नवीकृत है।

४ 25 धान/चावल अधिप्राप्ति :-

विपणन वर्ष 2002-2003 के लिए धान/चावल खरीद की अधिप्राप्ति हेतु सरकार के निर्णयानुसार भारतीय खाद्य निगम, जयनगर डी.पी. में ज्य की व्यवस्था की गयी है। इस कार्यवाई के तहत अधिप्राप्ति की प्रचार-प्रसार हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्यालय पत्रांक 918 दिनांक 27-11-2002 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। प्राप्त प्रतिवेदानुसार अबतक धान/चावल प्रगति शून्य है लगातार... 20/-

§26§ अंकेक्षण :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी ने निरीक्षण के क्रम में बताया कि वर्ष 66-67 एवं 68 का अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, तद्वर मधुबनी के स्तर पर काफी दिनों से लंबित है। इस हेतु कई स्मार भी दिये गये हैं, परन्तु स्थिति यथावत है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, तद्वर मधुबनी को अधोदस्ताक्षरी की ओर ले भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप तुरत प्रस्तुत किया जाय।

§27§ आपूर्ति से संबंधित राज्यतातकन्फीतकेट का मामला :-

निरीक्षण के क्रम में नड्सूल किया गया कि अधोदस्ताक्षरी के न्यायालय में आपूर्ति से संबंधित राज्यतात का मामला जिला विधि शाखा से प्रस्तुत किया जाता है, जो उचित नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि आपूर्ति से संबंधित राज्यतात का मामला जिला आपूर्ति शाखा से ही संचालित किया जाय।

§28§ जिला आपूर्ति शाखा का रोकड़ बडी :-

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपूर्ति शाखा का रोकड़ बडी जिला नजारत प्रशाखा में संधारित किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आपूर्ति शाखा से संबंधित रोकड़ बडी का संधारण जिला आपूर्ति शाखा में ही किया जाय।

§29§ निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस कार्यालय का कार्यकलाप पूर्णरूपेण संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। मुख्य रूप से पंजियों एवं संदिकाओं के रख-रखाव एवं कार्यालय सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी कर्मियों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का समय-सीमा के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



लगातार....21/-

इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का यदि समय-समय के अन्दर अनुमालन किया जाता है, तो निश्चित रूप से कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार हो सकता है ।

EO/-डा0बी0राजेन्द्र,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 264

। जिला आपूर्ति, मधुबनी, दिनांक 21 फरवरी, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम-सह-वरोय प्रभारी पदाधिकारी,

जिला आपूर्ति शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुमालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra
18/3/2003
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

20-	झंझारपुर	20724	9924	9076	1724	320
21-	झंझारपुर अधिसूचित क्षेत्र	4710	2465	1855	390	-
22-	मधेपुर	26730	8816	15055	2859	455
23-	लखनौर	19627	6949	10654	2024	322
24-	अंधराठाढ़ी	20952	7446	11351	2155	351
योग :-		508312	233352	231078	43886	8254

✓

x x x x x x x x x